न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 49 / 2016

माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर जरिये अहतमाम पुजारी शंकरलाल पुत्र बदरु जाति ब्राहम्ण उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नं0 19 लक्ष्मीनाथ विधालय के पास फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती जुबेदा पत्नी ईकरामूदीन लुहार जाति लुहार निवासी लुहारों का मोहल्ला फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. पटवारी हल्का फतेहपुर।
3. तहसीलदार महोदय फतेहपुर
4. उपपंजीयक फतेहपुर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा– प्रार्थी
श्री राजपाल चौधरी – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 30.06.2018

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में विधिवत रुप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें संलग्न दस्तावेजों व शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला है व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है जिसमें प्रार्थी की सफलता सुनिश्चित है। आराजी खसरा नंबर 777 रकबा 1.54 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है, जिसे इस आवेदन–पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।

वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जे अधिकार व स्वामित्व की भूमि है जिसकी खातेदारी संवत् 2011 से 14 संवत् 2014 से 2017 एवं संवत् 2017 से 2021 तक प्रार्थी माफी मंदिर के नाम तथा जरिये अहतमाम पुजारी हरनाथ वल्द गिरधारी एवं महासुख वल्द रामरतन के नाम से रजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा पूर्व में ठिकाना सीकर द्वारा वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य भूमि कुल 600 बीघा भूमि का पट्टा प्रदान किया गया तथा उसके पश्चात् काश्तकारी अधिनियम प्रवृत होने पर अलग–अलग खसरा नंबर से प्रार्थी माफी मंदिर के नाम दर्ज हो गई इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर- सीकर (राज०)

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी संवत् 2011 से 2021 तक प्रार्थी के नाम से चलती रही उसके पश्चात् संवत् 2022 में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी गलत रुप से मोहन पुत्र भागीरथ ब्राह्मण के नाम से दर्ज जो गई उक्त मोहन पुत्र भागीरथ वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी की अनुमति से बटाई पर काश्त करता था जिसने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम बनवा ली उसके पश्चात दिनांक 08/09/2008 को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 3822 के माहेन के बजाय बनारसी बेवाह मोहन हिस्सा 1/3 आनन्दी बेवाह बाबूलाल, प्रमोद पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/3 व दुर्गा बेवाह त्रिलोकाराम, रामचन्द्र, राकेश पुत्रगण त्रिलोकाराम हिस्सा 1/3 बहिस्सा बराबर–बराबर नाम से गलत रुप से स्वीकार हो गई तत्पश्चात् उपरोक्त मोहन के वारिसान ने वादग्रस्त भूमि का अपने नाम अवैध रुप से बनी खातेदारी का फायदा उठाने हुए बेईमानी पूर्ण आशय से वादग्रस्त भूमि का बेचान कर बेचान के आधार पर दिनांक 06.10.2008 को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 जुबैदा पत्नी इकरामुदीन के नाम से बन गई जो प्रार्थी के अधिकारों के प्रति अवैध व प्रभावी शून्य है इस कारण उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है इस कारण अप्रार्थी के नाम से बनी खातेदारी को निरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है।

प्रार्थी मूर्ति मंदिर है तथा चिर अव्यवस्क है इस कारण से मूर्ति मंदिर की भूमि की खातेदारी अन्य किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नहीं बन सकती इस कानून के प्रावधान का उल्लंघन कर उक्त मोहन के नाम खातेदारी बनी व उसके पश्चात् वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से बनीं खातेदारी अवैध व शून्य है इस कारण उक्त अवैध रुप से बनी खातेदारी को निरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है।

प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार, काश्तकार, हकदार होने से वादग्रस्त भूमि का खाता अपने नाम उद्घोषित करवाने का हकदार है इस कारण से वादग्रस्त भूमि का खातेदारी को उद्घोषणा करवाने व इसी अनुरुप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु हकदार होने से तद्हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खाता अपने नाम होने के कारण से उसका अवैध रुप से लाभ उठाने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि को विक्रय आदि करने पर उतारु है यदि अप्रार्थी अपने उक्त कुउद्देश्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को ऐसी असीम अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन के रुप में नहीं हो सकेगी इस कारण अप्रार्थीगण को वाद के विचारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है तद्हेतु आवेदन–प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मय नोकर – चाकर अधिकारी, सर्वधीकारी सहित जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वो वाद के विचारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 777 रकबा 1.59 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर के विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

बंधक आदि नहीं करें व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को प्रतिबंधित किया जाता
वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड नहीं बदले व वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार का
पत्र आदि प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामिल हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली कैम्प कोर्ट फतेहपुर पर पेश हुई।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में मुख्य तीन बिन्दु तय करने होते है।

प्रथम दृष्टया मामला:–

प्रस्तुत चित्रलिपि जमाबंदी संवत् 2011–2014 में खसरा नंबर 777 की खातेदारी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सबल है।

सुविधा का संतुलन:–

प्रस्तुत चित्रलिपि जमाबंदी संवत् 2011–2014 में खसरा नंबर 777 की खातेदारी प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सबल है।

जब प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तो **अपूर्णीय क्षति** प्रार्थी को होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 777 रकबा 1.54 हैक्टयर के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी एवं वादग्रस्त भूमि का विक्रय नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाप्ता कार्यवाही मूल वाद के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)